प्रेस नोट- थाना कटरा

जनपद- शाहजहाँपुर

<u>सराहनीय कार्य दिनांक – 29.11.2025</u>

“थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त की गयी कार बोलेरो की बरामदगी”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री - निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 28.11.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना कटरा पर तहरीर देकर अवगत कराया कि उसके ससरालीजनों द्वारा उसकी स्वयं की पत्नी छाया देवी की हत्या करके साक्ष्य छिपाने मेरी पत्नी के शव को गायब कर दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 – 492/2025 धारा 103(1)/238(1)/3(5) BNS बनाम 1. अजयपाल उर्फ रविन्द्र पुत्र मंगलीराम 2. श्रीमती बेबी पत्नी अजयपाल उर्फ रविन्द्र 3. रंजीत पुत्र मंगलीराम 4. बाल अपचारी सर्व निवासीगण ग्राम सहमापुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था । जिसमें विवचेनात्मक कार्यवाही करते साक्ष्य संकलन के आधार पर मुखविर की सूचना पर आज दिनांक 29.11.2025 को समय करीब 08.49 बजे ग्राम सहमापुर तिराहे से थाना कटरा की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. अजयपाल उर्फ रविन्द्र पुत्र मंगलीराम उम्र करीब 45 वर्ष 2. रनजीत पुत्र मंगलीराम निवासीगण ग्राम सहमापुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता 3. श्रीमती बेबी पत्नी अजयपाल उर्फ रविन्द्र निवासी ग्राम सहमापुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी गोलू (काल्पनिक नाम) को नियमानुसार निगरानी पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्तगणों के कब्जें से मृतका के शव गायब करनें में प्रयुक्त बोलेरो कार बरामद किया गया। तथा जनपदीय फील्ड यूनिट की सहायता से अभियुक्तगण की निशादेही पर मृतका छाया देवी के शव को जलाये जाने वाले स्थान बहगुल नदी के किनारे मढैया घाट से मृतका छाया देवी उपरोक्त के दो जोडी कुल 04 अदद बिछुआ तथा अस्थि अवशेष को कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण व सरंक्षण में लिए गए अपचारी किशोर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अजयपाल उर्फ रविन्द्र पुत्र मंगलीराम उम्र करीब 45 वर्ष
2. रंजीत पुत्र मंगलीराम उम्र करीब 38 वर्ष
3. श्रीमती बेबी पत्नी अजयपाल उर्फ रविन्द्र उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण ग्राम सहमापुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी का विवरणः-

बाल अपचारी गोलू (काल्पनिक नाम) उम्र करीब 16 वर्ष

गिरफ्तारी/संरक्षण में लेने का दिनांक/समय व स्थानः-

दिनांक 29.11.2025, समय 08.49 बजे, **स्थान**- ग्राम सहमापुर तिराहे , थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. शव को छिपानें में प्रयुक्त बोलरों कार
2. 02 जोडी विछुआ मृतका के

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त अजयपाल उर्फ रविन्द्र पुत्र मंगलीराम उम्र करीब 45 वर्ष

1. मु0अ0सं0 492/2025 धारा 103(1)/238(1)/3(5) BNS थाना कटरा
2. मु0अ0सं0 94/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कटरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल
2. उ0नि0 श्री गौरव कुमार
3. का0 2622 आशीष विकल
4. का0 1901 आशीष कुमार
5. म0का0 2920 आरती